FROM No.III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

अज अदालत ..... बायतु ..... मुकाम .....

..... अल्लो देवी ..... बनाम ..... देवाराम वगैरा .....

किस्म मुकदमा ..... रा० आवेदन 111,128 RLRAct ..... नं. ..... 100/19 ..... सन् ..... 2019 .....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/03/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... चुनाराम ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111,128 RLRAct ..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 06/05/19 ..... को पेश हो। [signature]	
06/05/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 21/05/19 को पेश हो। [signature]	
21/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/07/19 को पेश हो। [signature]	
10/07/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 04/11/19 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 16:57:39 IST
Reason: SelfAttested

04/11/19

पत्रावली आज पेश हुई। यथुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 10/12/19 को पेश हो।

10/12/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत एक साथ लगते हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बीच जो पुरानी कच्ची व पक्की मेड आई हुई थी जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गई है। बरसात होने पर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य सीमा को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करने के लिए पक्की मेड़बन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मेड़बन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर मेड़बन्दी आदेश किया जावे। जिसमें तहसीलदार शामिल रहे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का मेड़बन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेड़बन्दी मौके पर कमिश्नर वजरिये जमाबन्दी करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील से कक्ष में दाखिल दफ्तर हो।

(SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 16:57:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 966 दिनांकः– 10/12/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अन्तरो देवी पत्नी हराराम जाति भील निवासी खारापार तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. देवाराम पुत्र चुतराराम वगैरा जाति जाट निवासी खारापार तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 100 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा लोरेटी पटवार हल्का खारापार तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 213 / 139 रकबा 30.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

10.12.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 967–71 दिनांकः– 10/12/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी श्रीमति अन्तरों देवी
4. विप्रार्थीगण श्री देवाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा ।

sd–

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 16:57:39 IST
Reason: SelfAttested